क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल–2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

RPCB/RO KSG/PUB-73/ 2439 **Date:** 06-10-2020

M/s Bapu Marble & Granite Pvt. Ltd.,
NH 08, Village Pasoond
Tehsil & District Rajsamand

Sub.:- Public Hearing for Environmental Clearance for Rammaliya Granite Mining Project, ML no. 22/2018, Village Rammaliya, Tehsil- Bhinai, District Ajmer.

Ref.:- Office of district collector Ajmer letter no. 17892 dated 28/09/2020.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before **20/10/2020**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Rammaliya , Tehsil Bhinai, Distrct Ajmer at 12.00 Noon on 20/11/2020** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

sd/-
(Rakesh Gupta)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The Additional District Collector(LC), Ajmer in compliance to your letter no. 17892 dated 28/09/2020
3. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

राप्रनिम / क्षैका किश / राज / पीयूबी–73 / दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स बापू मार्बल एवं ग्रेनाईटस प्रा.लि. द्वारा रामालिया ग्रेनाईट खनन परियोजना, उत्पादन क्षमता–255564 टी.पी.ए.(आर.ओ.एम.) {सेलेबल खनिज–91045 टी.पी.ए. एवं वेस्ट–164519 टी.पी.ए.}, क्षेत्रफल –2.8431 हेक्टेयर, एम.एल.संख्या–22 / 2018, खसरा संख्या–899, 914 / 2675, 2820 / 914, 2819 / 913 एवं 915 ग्राम रामालिया, तहसील–भिनाय, जिला–अजमेर** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **मैसर्स बापू मार्बल एवं ग्रेनाईटस प्रा.लि.** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. कार्यालय खनिज अभियंता, खान व भू–विज्ञान विभाग, अजमेर।
   6. तहसील भिनाय, जिला–अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / विकास / 2020 / 17892 दिनांक 28.09.2020 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 20 / 11 / 2020** को **दोपहरः** 12.00 **बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आपेक्ष / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(राकेश गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी